बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

संकल्प सं0:- 4672086 / पटना, दिनांक :- 04/10/2025

ग्रा0वि0-R-503/322/2023-Section-14-RDD-RDD

श्री कृष्ण कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, तरैया, सारण (बिहार ग्रामीण विकास सेवा, अनुक्रमांक-183287) संप्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, चकाई, जमुई के विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-21618 दिनांक-24.11.2023 के माध्यम से प्राप्त निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक-2456 दिनांक-13.11.2023 से प्रतिवेदित किया गया कि श्री सिंह के विरूद्ध 65,86,622/- (पैंसठ लाख छियासी हजार छः सौ बाईस) रूपये के प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में निगरानी थाना कांड संख्या-034/2023 दिनांक-30.10.2023 धारा- 13(2) -सह- पठित धारा-13(1) (बी) भ्र0.नि0अधि0, 1988(संशोधित अधिनियम-2018) दर्ज किया गया। उक्त के आलोक मे जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के पत्रांक-460/स्था0 दिनांक-20.03.2024 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध विहित प्रपत्र में आरोप पत्र प्राप्त है । निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक-398 दिनांक-18.03.2025 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19 का प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने का आरोप प्रतिवेदित करते हुए यथोचित कार्रवाई का अनुरोध किया गया।

2. श्री सिंह के विरूद्ध निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो), बिहार, पटना से प्रतिवेदित आरोप एवं तत्संबंध में जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा से प्राप्त आरोप पत्र में उल्लेखित आरोप की विभाग द्वारा समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 के प्रतिकूल एवं गंभीर प्रकृति के हैं ।

3. अतः श्री सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1) (क) के आलोक में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय जिला पदाधिकारी, पूर्णिया का कार्यालय निर्धारित किया जाता है ।

4. निलम्बन की अवधि में श्री सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम- 10 के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

5. निलम्बन के आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

4.10.25

(मन्जु प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

स्पीड पोस्ट/ ई मेल

ज्ञापांक:- 4672086 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 04/10/2025

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, सारण, जमुई एवं पूर्णिया /प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/ जिला कोषागार पदाधिकारी, सारण, जमुई एवं पूर्णिया / श्री कृष्ण कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, तरैया, सारण (बिहार ग्रामीण विकास सेवा, अनुक्रमांक-183287) संप्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, चकाई, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.10.25

सरकार के संयुक्त सचिव।

C:\Users\pc\Documents\Notification(2025)-15 (Nelambit).doc

ज्ञापांक :- 4672086 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 04/10/2025

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा- 03, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

4.10.25

सरकार के संयुक्त सचिव।

C:\Users\pc\Documents\Notification(2025)-15 (Nelambit).doc